

(E)

2021/30
FORM NO. III

30-4-21

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला खैरोल

श्री नरवती अल

बनाम

श्री वगत्राम

किस्म मुकद्दमा

128 RLA Act

नं.

7/21

सन्

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 25/3/21 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>सरथला</u>..... ग्राम <u>सरथला</u>.....की आ.न. 1420/858, 1422/858, 1421/858, 1423/858 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी जिला खैरोल</p> | |

